प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–16.11.2017 तथा दिनांक–17.11.2017 एवं राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–23.11.2017 को सम्पन्न राजस्व संग्रहण एवं अन्य विषयों पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, जिला परिवहन कार्यालयों, मोटरयान निरीक्षकों एवं प्रर्वतन अवर निरीक्षकों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति – संलग्न सूची के अनुसार।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया –

1. **उपस्थिति** – बैठक में निम्न पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुये। इनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया :–

(क) श्री नीरज कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय, **(ख)** श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज, जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार, **(ग)** श्री अनुप कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, वैशाली, **(घ)** श्री अंजनी कुमार पाठक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सिवान, **(ङ)** श्री गोपाल मिश्रा, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, कटिहार, **(च)** श्री पंकज, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, औरंगाबाद, रोहतास।

श्री अनुप कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, वैशाली, दिनांक–23.11.2017 के बैठक में भी ससमय उपस्थित नहीं हुए। जब दूरभाष से पृच्छा की गई तो काफी बिलम्ब से तथा बिना बर्दी पहने ही पहुंचे, जो अनुशासनहीनता का परिचायक है।

(अनुपालन – प्रशाखा–05 एवं प्रशाखा – 07)

2. **राजस्व संग्रहण** – राजस्व वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। जिस भी पदाधिकारी ने लक्ष्य से 40 प्रतिशत से कम वसूली की है उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया ।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बचे हुए लक्ष्य को पांच माह में विभाजित करते हुए जो लक्ष्य आता है, सभी पदाधिकारियो के लिए वो मासिक लक्ष्य माना जायगा। शेष बचे लक्ष्य के अनुरूप शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाय।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक, सभी प्रर्वतन अवर निरीक्षक राजस्व वसूली का विवरण प्रतिदिन Whatsapp पर भेजेंगे। Whatsapp Group का निर्माण आई0 टी0 मैनेजर द्वारा किया जायगा तथा वे प्रत्येक दिन वसूली का विवरण अवलोकन हेतु प्रधान सचिव, राज्य परिवहन आयुक्त, उप सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
अनु0–यथोक्त।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक,सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक एवं प्रशाखा– 05 एवं 07)

3. **ऑन लाईन रिपोर्टिंग** – जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा, बेतिया, मोटरयान निरीक्षक, गया, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना, पूर्णिया, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, अररिया, अरवल, बांका, बेगुसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुगेर, नालन्दा, नवादा, पटना, मोतिहारी, रोहतास, सहरसा, छपरा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल द्वारा अभी भी ऑन लाईन रिपोर्टिंग नहीं किया जा रहा है। उन्हें नियमित रूप से प्रत्येक माह ऑन लाईन रिपोर्टिंग करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा प्रशाखा – 03)

4. **प्रदूषण केन्द्र** – मोटरयान निरीक्षकों को निदेश दिया गया कि प्रदूषण केन्द्र की स्थापना संबंधी सभी प्राप्त आवेदनों की जाँच कर प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करा दे।

(अनुपालन – सभी मोटरयान निरीक्षक एवं प्रशाखा – 06)

5. **ओवरलोडिंग पर की गई कार्रवाई–** वाहनों के विरूद्ध सघन जाँच अभियान चलाने एवं उनसे शमन की राशि वसूलने तथा नियमानुसार ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा प्रशाखा – 03)

6. **मुख्यालय से मांगे अथवा भेजे गये जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई–** इस संबंध में सभी संबंधितों को त्वरित रूप से कार्रवाई किये जाने हेतु निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारीए सभी मोटरयान निरीक्षक तथा सभी प्रशाखा)

7 **अंकेक्षण कंडिकाओं का अनुपालन–** वित्तीय वर्ष 2002–03 से 2007–08 एवं 2008–09 से 2015–16 और निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 तक के निरीक्षण प्रतिवेदन को भेजने का निदेश दिया गया । अनुपालन प्रतिवेदन अद्यतन होना चाहिए तथा उसके साथ साक्ष्य संलग्न रहना चाहिए।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–03)

8. **स्मार्ट कार्ड–** ससमय स्मार्ट कार्ड निर्गत किये जाने का सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–02)

9. **डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन–** सभी जिलों में वाहन–4.0 सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद डीलर प्वाइंट का रजिस्ट्रेशन स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं जिन जिलों में वाहन–4.0 लागू है वहाँ डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन दिए जाने का औचित्य नहीं है।

(अनुपालन– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–02)

10. **HSRP की प्रगति–** HSRP के संबंध में विभागीय माननीय मंत्री स्तर से पूर्व में आहूत बैठक के आलोक में निर्गत कार्यवाही पर सभी संबंधितों को कार्रवाई किए जाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–02)

11. **टैक्स डिफॉल्टर–** सभी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से टैक्स डिफॉल्टर की सूची संलग्न करते हुए सूचना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–02)

12. **सड़क सुरक्षा निधि में शीर्ष वार जमा की गई राशि की अद्यतन विवरणी–** सड़क सुरक्षा मद में प्राप्त सेस (अधिभार) की राशि यथोचित शीर्ष में ससमय जमा कराने हेतु निदेश दिया गया।
(क) मुख्यशीर्ष–0041–वाहन कर, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–101–भारतीय मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ–0003–वाहन पर शमन से प्राप्तियाँ जिसका विपत्र कोड सं0–R–0041001010003 है।
(ख) मुख्यशीर्ष–0041–वाहन कर, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–102–राज्य के मोटरयान कराधान अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ–0002–वाहन पर शमन से प्राप्तियाँ जिसका विपत्र कोड सं0–R–0041001020002 है।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा कोषांग)

13. **जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक**– जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि प्रत्येक तीन माह पर नियमित रूप से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाय। आवश्यकतानुसार इसकी विशेष बैठके भी जनहित में आयोजित की जा सकती है।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा कोषांग)

14. **रदद् किये गये ड्राईविंग लाइसेंस/ड्रंकेन ड्राईविंग (नशे में वाहन चालन)**– रदद् किये गये ड्राईविगं लाइसेंस का अद्यतन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अन्त तक भेजे जाने हेतु निदेश दिया गया। इसकी समीक्षा नियमित रूप से सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक में की जाती है।

सड़क सुरक्षा कोषांग द्वारा प्रधान सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत पत्र सं0–5971 दिनांक–27कृ11. 2017 में दिये गये निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित समिति की बैठको में राज्य सरकार को अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।

(अनुपालन– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–06)

15. **नाव निबंधन/सर्वे**– गैर निबंधित नावों के परिचालन पर पुर्णतः रोक लगाने का निदेश दिया गया। सघन अभियान चलाकर नावों का सर्वे कराकर निबंधित किये जाने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक तथा प्रशाखा – 07)

16. **सर्व क्षमा योजना का प्रगति प्रतिवेदन**-- अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाय ताकि इसका समुचित लाभ लोगों को प्राप्त हो सके एवं निबंधन की कार्रवाई पूर्ण की जा सके।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–02)

17. **संविदा पर नियुक्त कर्मी यथा ऑपरेटर/प्रोग्रामर आदि का मानदेय भुगतान**– संविदा पर नियुक्त सभी कर्मियों को समय पर मानदेय भुगतान किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–02)

18. **सेवान्त लाभ एवं कोर्ट केस**– सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में लंबित सेवान्त लाभ से संबंधित मामलों के त्वरित गति से निष्पादन हेतु निदेश दिया गया। सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उनके स्तर पर लंबित वादों को त्वरित गति से निबटाया जाय।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, विधि कोषांग तथा प्रशाखा–5 एवं 7)

19. **उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण**-- क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा पर नियुक्त मानदेय आदि के अक्टूबर 2017 तक के भुगतान के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

20. **जुगाड़ गाड़ी के विरूद्व की गई कार्रवाई**– चूँकि जुगाड़ गाड़ी का टाईप एप्रुवल नहीं है इसलिए इसका निबंधन नहीं किया जा सकता है। इसके परिचालन पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश निर्गत है। उक्त के आलोक में सभी नियमसंगत धाराओं का उपयोग करते हुए जुगाड़ गाड़ी के परिचालन पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु निदेश दिया गया ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/-
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 03/प्र0–सांख्यिकी (विविध)–22/2012 6215 पटना, दिनांक–08/12/2017

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–16.11.2017 तथा दिनांक–17.11.2017 एवं राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–23.11.2017 को सम्पन्न राजस्व संग्रहण एवं अन्य विषयों पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, जिला परिवहन कार्यालयों, मोटरयान निरीक्षकों एवं प्रर्वतन अवर निरीक्षकों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति – संलग्न सूची के अनुसार।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया –

1. **उपस्थिति** – बैठक में निम्न पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुये। इनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया :–

(क) श्री नीरज कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय, **(ख)** श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज, जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार, **(ग)** श्री अनुप कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, वैशाली, **(घ)** श्री अंजनी कुमार पाठक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सिवान, **(ड)** श्री गोपाल मिश्रा, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, कटिहार, **(च)** श्री पंकज, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, औरंगाबाद, रोहतास।

श्री अनुप कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, वैशाली, दिनांक–23.11.2017 के बैठक में भी ससमय उपस्थित नहीं हुए। जब दूरभाष से पृच्छा की गई तो काफी बिलम्ब से तथा बिना बर्दी पहने ही पहुंचे, जो अनुशासनहीनता का परिचायक है।

(अनुपालन – प्रशाखा–05 एवं प्रशाखा – 07)

2. **राजस्व संग्रहण** – राजस्व वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। जिस भी पदाधिकारी ने लक्ष्य से 40 प्रतिशत से कम वसूली की है उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया ।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बचे हुए लक्ष्य को पांच माह में विभाजित करते हुए जो लक्ष्य आता है, सभी पदाधिकारियों के लिए वो मासिक लक्ष्य माना जायगा। शेष बचे लक्ष्य के अनुरूप शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाय।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक, सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक राजस्व वसूली का विवरण प्रतिदिन Whatsapp पर भेजेंगे। Whatsapp Group का निर्माण आई0 टी0 मैनेजर द्वारा किया जायगा तथा वे प्रत्येक दिन वसूली का विवरण अवलोकन हेतु प्रधान सचिव, राज्य परिवहन आयुक्त, उप सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
अनु0–यथोक्त।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक,सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक एवं प्रशाखा– 05 एवं 07)

3. **ऑन लाईन रिपोर्टिंग** – जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा, बेतिया, मोटरयान निरीक्षक, गया, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना, पूर्णिया, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, अररिया, अरवल, बांका, बेगुसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुगेर, नालन्दा, नवादा, पटना, मोतिहारी, रोहतास, सहरसा, छपरा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल द्वारा अभी भी ऑन लाईन रिपोर्टिंग नहीं किया जा रहा है। उन्हें नियमित रूप से प्रत्येक माह ऑन लाईन रिपोर्टिंग करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा प्रशाखा – 03)

4. **प्रदूषण केन्द्र** – मोटरयान निरीक्षकों को निदेश दिया गया कि प्रदूषण केन्द्र की स्थापना संबंधी सभी प्राप्त आवेदनों की जाँच कर प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करा दे।

(अनुपालन – सभी मोटरयान निरीक्षक एवं प्रशाखा – 06)

5. **ओवरलोडिंग पर की गई कार्रवाई**– वाहनों के विरूद्ध सघन जाँच अभियान चलाने एवं उनसे शमन की राशि वसूलने तथा नियमानुसार ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा प्रशाखा – 03)

6. **मुख्यालय से मांगे अथवा भेजे गये जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई**– इस संबंध में सभी संबंधितों को त्वरित रूप से कार्रवाई किये जाने हेतु निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारीए सभी मोटरयान निरीक्षक तथा सभी प्रशाखा)

7 **अंकेक्षण कंडिकाओं का अनुपालन**– वित्तीय वर्ष 2002–03 से 2007–08 एवं 2008–09 से 2015–16 और निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 तक के निरीक्षण प्रतिवेदन को भेजने का निदेश दिया गया । अनुपालन प्रतिवेदन अद्यतन होना चाहिए तथा उसके साथ साक्ष्य संलग्न रहना चाहिए।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–03)

8. **स्मार्ट कार्ड**– ससमय स्मार्ट कार्ड निर्गत किये जाने का सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–02)

9. **डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन**– सभी जिलों में वाहन–4.0 सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद डीलर प्वाइंट का रजिस्ट्रेशन स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं जिन जिलों में वाहन–4.0 लागू है वहाँ डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन दिए जाने का औचित्य नहीं है।

(अनुपालन– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–02)

10. **HSRP की प्रगति**– HSRP के संबंध में विभागीय माननीय मंत्री स्तर से पूर्व में आहूत् बैठक के आलोक में निर्गत कार्यवाही पर सभी संबंधितों को कार्रवाई किए जाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–02)

11. **टैक्स डिफॉल्टर**– सभी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से टैक्स डिफॉल्टर की सूची संलग्न करते हुए सूचना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–02)

12. **सड़क सुरक्षा निधि में शीर्ष वार जमा की गई राशि की अद्यतन विवरणी**– सड़क सुरक्षा मद में प्राप्त सेस (अधिभार) की राशि यथोचित शीर्ष में ससमय जमा कराने हेतु निदेश दिया गया।
(क) मुख्यशीर्ष–0041–वाहन कर, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–101–भारतीय मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ–0003–वाहन पर शमन से प्राप्तियाँ जिसका विपत्र कोड सं0–R–0041001010003 है।
(ख) मुख्यशीर्ष–0041–वाहन कर, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–102–राज्य के मोटरयान कराधान अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ–0002–वाहन पर शमन से प्राप्तियाँ जिसका विपत्र कोड सं0–R–0041001020002 है।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा कोषांग)

13. **जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक**— जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि प्रत्येक तीन माह पर नियमित रूप से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाय। आवश्यकतानुसार इसकी विशेष बैठके भी जनहित में आयोजित की जा सकती है।

(अनुपालन—सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा कोषांग)

14. **रदद् किये गये ड्राईविंग लाइसेंस/ड्रंकेन ड्राईविंग (नशे में वाहन चालन)**— रदद् किये गये ड्राईविगं लाइसेंस का अद्यतन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अन्त तक भेजे जाने हेतु निदेश दिया गया। इसकी समीक्षा नियमित रूप से सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक में की जाती है।

सड़क सुरक्षा कोषांग द्वारा प्रधान सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत पत्र सं0—5971 दिनांक—27कृ11. 2017 में दिये गये निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित समिति की बैठको में राज्य सरकार को अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।

(अनुपालन— सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा—06)

15. **नाव निबंधन/सर्वे**— गैर निबंधित नावों के परिचालन पर पुर्णतः रोक लगाने का निदेश दिया गया। सघन अभियान चलाकर नावों का सर्वे कराकर निबंधित किये जाने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन—सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक तथा प्रशाखा — 07)

16. **सर्व क्षमा योजना का प्रगति प्रतिवेदन**— अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि विस्तृत प्रचार—प्रसार किया जाय ताकि इसका समुचित लाभ लोगों को प्राप्त हो सके एवं निबंधन की कार्रवाई पूर्ण की जा सके।

(अनुपालन— सभी संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा—02)

17. **संविदा पर नियुक्त कर्मी यथा ऑपरेटर/प्रोग्रामर आदि का मानदेय भुगतान**— संविदा पर नियुक्त सभी कर्मियों को समय पर मानदेय भुगतान किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— सभी संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा—02)

18. सेवान्त लाभ एवं कोर्ट केस— सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में लंबित सेवान्त लाभ से संबंधित मामलों के त्वरित गति से निष्पादन हेतु निदेश दिया गया। सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उनके स्तर पर लंबित वादों को त्वरित गति से निबटाया जाय।

(अनुपालन— सभी संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, विधि कोषांग तथा प्रशाखा—5 एवं 7)

19. उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण— क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा पर नियुक्त मानदेय आदि के अक्टूबर 2017 तक के भुगतान के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन— सभी संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

20. **जुगाड़ गाड़ी के विरूद्व की गई कार्रवाई**— चूँकि जुगाड़ गाड़ी का टाईप एप्रूवल नहीं है इसलिए इसका निबंधन नहीं किया जा सकता है। इसके परिचालन पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश निर्गत है। उक्त के आलोक में सभी नियमसंगत धाराओं का उपयोग करते हुए जुगाड़ गाड़ी के परिचालन पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु निदेश दिया गया ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/–
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 03/प्र0–सांख्यिकी (विविध)–22/2012 पटना, दिनांक–..........................

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 03/प्र0–सांख्यिकी (विविध)–22/2012 पटना, दिनांक–..........................

प्रतिलिपि– परिवहन विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

6215, पटना, दिनांक 08/12/2017

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधितों को ई0 मेल करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।